दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) सं. 12023/2006

सुरक्षित : 23.07.2008
निर्णय की तिथि: 14.08.2008

नायब सूबेदार मेजर सिंह ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सी.पी. सिंह अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री मनिंदर आचार्य, अधिवक्ता के संग मेजर एस.एस.पांडे प्रत्यर्थीगण के लिए।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल
माननीय न्यायमूर्ति श्री मूल चंद गर्ग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में रिपोर्ट किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. संजय किशन कौल,

1. याचिकाकर्ता दिनांक.22.06.1981 को भारतीय सेना में मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री में भर्ती हुआ था और उसने हवलदार के पद तक अपनी पदोन्नति अर्जित की थी। याचिकाकर्ता को 1997 में नायब सूबेदार के रूप में कनिष्ठ आयोग प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने उत्कृष्ट एसीआर अर्जित किया है जिसके परिणामस्वरूप उसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता को सितंबर, 2003 में 2002-2003 की अवधि के लिए अपने प्रतिकूल ए.सी.आर. के विषय में पता चला जब उसे उक्त ए.सी.आर. के एक उद्धरण पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता को नौ अंकों में से चार अंक दिए गए थे, जो एक औसत श्रेणीकरण है। परिणाम यह हुआ कि जब उम्मीदवारों को सूबेदार के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया, तो याचिकाकर्ता को पदोन्नत नहीं किया गया, जबकि उनके कनिष्ठों को दिनांक. 01.04.2004 को पदोन्नत किया गया।

2. याचिकाकर्ता ने 2002-2003 की अवधि के लिए उक्त ए.सी.आर. के विरुद्ध दिनांक 21.04.2004 को एक गैर-वैधानिक शिकायत दर्ज की, परंतु उसे दिनांक. 05.12.2004 को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.04.2005 को दायर की गई कानूनी शिकायत भी सेना मुख्यालय द्वारा वापस कर दी गई, क्योंकि

शिकायत ए.सी.आर. के उद्धरण की शुरूआत की तिथि से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता ने उक्त ए. सी. आर. को चुनौती देते हुए और सूबेदार के पद पर पदोन्नति की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि) 894/2006 दायर किया। याचिका का निपटारा दिनांक 23.01.2006 के एक आदेश द्वारा किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा कानूनी शिकायत फिर से दायर की जाए और गुणागुण के आधार पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ता को वैधानिक शिकायत दर्ज करने के लिए बुलाए जाने पर, हालांकि, कहा कि उन्हें जो कुछ भी कहना था, वह पिछली शिकायत में कहा गया था और इस प्रकार इच्छा थी कि उनकी पिछली कानूनी शिकायत पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाए। कानूनी शिकायत पर सेना प्रमुख द्वारा तदनुसार विचार किया गया था, परंतु दिनांकित 26.05.2006 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। यह वह आदेश है, जिसे वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित करने की मांग की गई है।

3. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि सेना प्रमुख ने राय दी है कि याचिकाकर्ता का ए.सी.आर. प्रदर्शन-आधारित, संपोषक, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष था। आरंभकर्ता अधिकारी (संक्षेप में "आई. ओ".) या समीक्षा अधिकारी (संक्षेप में "आर. ओ".) की ओर से कोई

असद्भावी इरादा नहीं था। ए. ओ. 1/2002 एम. पी. के पैरा 44 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को आई. ओ. और आर. ओ. दोनों की समग्र श्रेणीकरण और पेन पिक्चर के बारे में सूचित किया गया था, यद्यपि याचिकाकर्ता ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता के एसीआर मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण, उसकी पदोन्नति को उचित रूप से खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों का संक्षेप और सार यह था कि वर्ष 2002-2003 कि अवधि के लिए ए.सी.आर याचिकाकर्ता के समग्र प्रोफाइल में एक असामान्यता थी । जब 9 अंकों में से अंकन किया गया तो याचिकाकर्ता ने कुल 7 या 8 के साथ एक उत्कृष्ट प्रोफ़ाइल बनाए रखी थी। एकमात्र अपवाद वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए एसीआर था जिसमें उन्हें चार अंक दिए गए थे। पदोन्नति के लिए अंतिम तीन विवरणों पर विचार करने की आवश्यकता थी, जिनमें से कोई भी 5 अंकों से कम नहीं होना था, जो कि एक औसत श्रेणीकरण था। इस प्रकार यह केवल वर्ष 2002-2003 के लिए ए. सी. आर. था जो याचिकाकर्ता की पदोन्नति के रास्ते में आया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उक्त एसीआर को भरने से पहले याचिकाकर्ता को कोई पूर्व परामर्श, सलाह या मार्गदर्शन नहीं दिया गया था और सेना के आदेश 1/2000 एमपी में निहित नीति के अनुसार ऐसी चेतावनी और/या परामर्श देने की आवश्यकता थी।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने नायब रिसालदार बलवान सिंह बनाम भारत संघ और अन्य 2002 (2) एफ.एल.जे. 210 के मामले में इस न्यायालय के खण्ड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यू.पी . जल निगम और अन्य बनाम प्रभात चंद्र जैन; (1996) 2 एस.सी.सी. 363 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सेना कार्मिक पर समान रूप से लागू होता है और यह प्रत्यर्थीगण पर निर्भर था कि वे ऐसे कार्मिक को चेतावनी और/या परामर्श दें ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार हो सके जो नहीं किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए एक कार्मिक के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया था जिसे तब तक कम नहीं किया जा सकता था जब तक कि यह इंगित नहीं किया जाता था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में भारत की संसद द्वारा उस संबंध में एक कानून लागू किया गया था। उस

मामले के तथ्यों में भी एक विशेष वर्ष था जब आरओ ने आईओ द्वारा दी गई ग्रेडिंग को कम कर दिया था। ग्रेडिंग को 5 से घटाकर 4 कर दिया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता एक अन्य वर्ष को छोड़कर पूरे वर्ष 7 की ग्रेडिंग अर्जित कर रहा था, जहां उसे आरओ द्वारा 5 की श्रेणी दी गई थी।

7. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम यमुना शंकर मिश्रा और अन्य; 1997 (2) एस.एल.जे. 121 के मामले में, ए.सी.आर. की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता थी, जो एक उम्मीदवार के सामान्य प्रोफाइल में एक विपथन था, जिसे ए.सी.आर. के शीघ्र संसूचना की आवश्यकता से निपटा गया था। सेडू राम (हवलदार) बनाम सेना प्रमुख स्टाफ और अन्य 2000-III ए डी (दिल्ली) 134 के मामले में निर्णय को भी इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए संदर्भित किया गया था कि एक असंबद्ध प्रतिकूल टिप्पणी पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। राजिंदर सिंह सहरावत बनाम भारत संघ और अन्य ; 2001 (59) डी.आर.जे. 596 (डी.बी.) के मामले में, ए.सी.आर. में प्रतिकूल प्रविष्टियां याचिकाकर्ता के पिछले उत्कृष्ट रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं थीं। इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने पाया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में "कैट") को अचानक पदावनति के वास्तविक कारण का पता लगाने और इसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टियों

को रद्द करने का प्रयास करना चाहिए था। गुरदियाल सिंह फिज्जी बनाम पंजाब राज्य; ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1622 में यह बताया गया है कि गोपनीय रिपोर्ट में किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर पदोन्नति के अवसरों को अस्वीकार करने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि इसे संबंधित व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता है।

8. दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एसीआर के गैर-संसूचना के विषय में याचिकाकर्ता की शिकायत गलत है। याचिकाकर्ता को दिनांकित 18.08.2003 पत्र के माध्यम से ए.सी.आर. का उद्धरण भेजा गया था, लेकिन उसने उद्धरण पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और पत्र वापस कर दिया। यही स्थिति थी तब थी जब इसे एक बार फिर दिनांक. 17.10.2003 को याचिकाकर्ता को भेजा गया था। इस प्रकार, औसत श्रेणीकरण संप्रेषित करने की आवश्यकता का अनुपालन किया गया। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने किसी भी परामर्श की आवश्यकता से इनकार करने की मांग की क्योंकि यह सेना आदेश 1/2002/एमपी में निहित नहीं था और एकमात्र आवश्यकता एसीआर की संसूचना देना थी।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भारत संघ एवं अन्य बनाम मेजर बहादुर सिंह; (2006) 1 एससीसी 368 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से अभिनिर्धारित किया कि यू.पी. जल निगम एवं अन्य बनाम प्रभात चंद्र जैन मामला (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय का कोई सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं था और यह केवल यू.पी. जल निगम के कर्मचारियों के लिए किया गया था। अभिनिर्धारित किया गया कि एसीआर दर्ज करने के लिए सेना की अपनी प्रक्रिया थी और इस आधार पर कुछ टिप्पणियां की गईं कि किस प्रकार निर्णय का निर्वचन करना चाहिए और उसे कैसे लागू किया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार हैं:

> 9. न्यायालयों को बिना इस बात पर चर्चा किए किसी निर्णय पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति उस निर्णय की तथ्यात्मक स्थिति के साथ किस प्रकार मेल खाती है जिस पर भरोसा किया गया है। न्यायालयों के अवलोकन को न तो यूक्लिड के सिद्धांतों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और न ही कानूनी प्रावधानों के रूप में और वह भी उनके संदर्भ से बाहर लिया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे कही गई प्रतीत होती हैं। न्यायालयों के निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी कानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन चर्चा का उद्देश्य व्याख्या करना होता है,

परिभाषित करना नहीं। न्यायाधीश क़ानून की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते। वे क़ानून के शब्दों की व्याख्या करते हैं; उनके शब्दों की व्याख्या क़ानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए। लंदन ग्रेविंग डॉक कं. लिमिटेड बनाम हॉर्टन 3 लॉर्ड मैकडर्मोट ने अनुपालन किया कि; (सभी ई. आर. पी.14 ग-घ)

"निसन्देह, इस मामले का निपटारा केवल विल्स, जे. के इप्सिसिमा वर्बा को संसद के एक अधिनियम का हिस्सा मानकर और उसके लिए उपयुक्त व्याख्या के नियमों को लागू करके नहीं किया जा सकता है। यह उस सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली भाषा को दिए जाने वाले बड़े महत्व को कम करने के लिए नहीं है।..."

10. होम ऑफिस बनाम डोरसेट याच कंपनी[4] में लॉर्ड रीड ने कहा: (ऑल ईआर पृ. 297छ -ज)

"लॉर्ड एटकिन के भाषण को ... कानूनी परिभाषा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें नई परिस्थितियों में योग्यता की आवश्यकता होगी।"

मेगारी, जे. ने शेफर्ड होम्स लिमिटेड बनाम संधम (सं. 2)[5] ने अनुपालन किया कि (सभी ई. आर. पी.1274 घ-ड़) "निःसंदेह, किसी को रसेल, एल.जे. के आरक्षित निर्णय की भी इस प्रकार व्याख्या नहीं करनी चाहिए मानो वह संसद का अधिनियम हो;" और, हेरिंग्टन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड6 में लॉर्ड मॉरिस ने कहा:(सभी ई. आर. पी. 761 ग)

"किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को कानूनी अधिनियम के शब्दों की तरह मानना हमेशा जोखिम भरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों के संदर्भ में दिए जाते हैं।"

9. वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए एसीआर हेतु याचिकाकर्ता की निचली श्रेणीकरण के औचित्य को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है। ऑपरेशन पराक्रम समय के प्रासंगिक चरण में किया गया था और याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसी आधार पर किया गया था। इस प्रकार यह निवेदन किया गया था कि यह संभव है कि कोई कार्मिक सामान्य परिस्थितियों में तो अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन किसी विशिष्ट संचालन के दौरान वह उपयुक्त प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो पाता है।

10. विद्वान अधिवक्ता <u>अमरीक सिंह बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 2002 एस. सी. 2382</u> के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया और उस मामले के तथ्यों में, पिछले पांच वर्षों में से एक वर्ष में एक प्रतिकूल टिप्पणी के कारण पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित था और न्यायालय पदोन्नति के मामले में की गई गुणागुण के आंकलन के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों की सत्यता पर विचार नहीं किया जा सकता था। न्यायिक समीक्षा की अनुमति केवल यह पता लगाने की सीमा तक थी कि निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया का सही ढंग से अनुपालन किया गया था न कि निर्णय के संबंध में।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

12. पदोन्नति से इनकार के मामले की जांच करते समय न्यायालय द्वारा सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसा कि अमरीक सिंह बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त) के मामले में जोर दिया गया है, जिसमें यह अनुपालन किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है। किसी कार्मिक के सम्पूर्ण प्रोफाइल का मूल्यांकन करते समय प्राधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के स्थान पर न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया है या अप्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है, तो न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले में ऐसी प्रक्रियात्मक विफलता हुई है।

13. अभिलेख के परिशीलन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के प्रोफाइल को अन्यथा 7 या 8 के रूप में मूल्यांकन किया गया है और एकमात्र अपवाद 2002-2003 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता का एसीआर है। इस प्रकार उक्त अवधि निश्चित रूप से याचिकाकर्ता

के समग्र प्रोफाइल में एक विचलन है। न्यायालय को निश्चित रूप से यह देखना होगा कि क्या इस तरह के विचलन के कारण हैं और वास्तव में, यही कारण है जिसने इस न्यायालय की खण्ड पीठ को राजिंदर सिंह सहरावत बनाम भारत संघ और अन्य के मामले (पूर्वोक्त) में हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण उस पहलू में नहीं गया था।

14. अभिलेखों से पता चलता है कि कार्मिक के निचले श्रेणीकरण के कारणों का उल्लेख आईओ और आरओ द्वारा किया गया था। यह विशेष रूप से अनुपालन किया गया कि याचिकाकर्ता पेशेवर रूप से कमजोर था और उसमें पहल की कमी थी, वह आसान नौकरियों की तलाश में यात्रा किया करता था। आरओ ने पूरे मामले में, आईओ से सहमति जताते हुए पाया कि याचिकाकर्ता का प्रदर्शन कमजोर है, जिसे अपने ज्ञान और लोगों तथा उपकरणों के संचालन में सुधार की आवश्यकता थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की एसीआर में उपरोक्त विचलन को दर्ज कारणों से उचित ठहराया गया है, जब एक विशिष्ट ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में कमी पाई गई थी। एसीआर के प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

"जे. सी.-418900ढ. एन.बी. सब मेजर सिंह के संबंध में ए.सी.आर. के पैरा 17 का अतिरिक्त उद्धरण

17. <u>पुनर्विलोकन अधिकारी</u> कुल मिलाकर : <u>9</u>6

श्रेणीकरण: 4

<u>पूर्ण मामला</u>

(उपरोक्त भाग II में विशेष रूप से शामिल नहीं किए गए गुणों पर टिप्पणियां)

नायब सूबेदार मेजर सिंह एक औसत जेसीओ हैं। वह पेशेवर रूप से कमजोर हैं और उन्होंने इसे सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखाई है या अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई पहल नहीं की है। वह एक "यात्री" बनना पसंद करता है और नरम नौकरियों की तलाश करता है। ऑपरेशन पराक्रम में उनका प्रदर्शन एक जेसीओ के अपेक्षित प्रदर्शन से कम रहा है।

और

जे. सी.- 418900एन. एन. बी. सब मेजर सिंह के रिसेप्ट में ए. सी. आर. के पारा 18 का निष्कर्ष

18. <u>समीक्षा अधिकारी</u>

कुल मिलाकर : <u>97</u>
श्रेणीकरण : 4

<u>पूर्ण मामला</u>

(उपरोक्त भाग II में विशेष रूप से शामिल न किए गए गुणों पर टिप्पणियाँ और आई. ओ. अभिलेख के किसी भी पहलू को प्रासंगिक मानना)

एक पेशेवर रूप से कमज़ोर जेसीओ जिसे अपने ज्ञान और अपनी सेना के लोगों और उपकरणों की संचालन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है"

15. सेना प्रमुख ने याचिकाकर्ता की कानूनी शिकायत पर विचार करते हुए दिनांकित 26.05.2006 के आक्षेपित आदेश में विशेष रूप से पाया कि इस तरह के प्रदर्शन के लिए कारण दर्ज किए गए थे और आई.ओ. की ओर से कोई असद्भावी इरादा नहीं था जिसे समझा जा सके। वास्तव में, याचिका में दुर्भावना के आरोपों का अभाव है और न ही जांच अधिकारी के साथ किसी पुराने झगड़े या दुश्मनी का मामला बनाया जा सकता है, जिसके कारण जांच अधिकारी को पहले की एसीआर से अलग रुख अपनाने में दिक्कत होती। इस तथ्य की पुष्टि आर.ओ. द्वारा भी इसी प्रकार की टिप्पणी किए जाने से होती है।

16. इस प्रकार हमारे लिए 2002-2003 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के ए.सी.आर. में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है, जो याचिकाकर्ता के प्रदर्शन पर विचार करने पर आधारित है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिकूल ए.सी.आर. की आवश्यकता पर अनेक निर्णयों का उल्लेख किया था, जिन्हें

याचिकाकर्ता को संसूचित किया जाना चाहिए। प्रासंगिक उद्धरण याचिकाकर्ता को सूचित किए गए, परंतु उन्होंने उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार वह इसके लिए खुद को दोषी ठहराता है और उस पहलू का लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर सकता है। भारत संघ और अन्य बनाम मेजर बहादुर सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में भी निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत कानूनी दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट टिप्पणियों को देखते हुए प्रबल नहीं होगा कि यू.पी जल निगम और अन्य बनाम प्रभात चंद्र जैन (पूर्वोक्त) के मामले में जो अनुपालन किया गया है वह उस संस्थान पर लागू होता है अर्थात यूपी जल निगम में और सेना को अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होना पड़ता है। परामर्श की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब एक अवधि के दौरान किसी कार्मिक के प्रदर्शन में गिरावट आती है। वर्तमान मामला वह है जिसमें याचिकाकर्ता का प्रदर्शन एक विशेष ऑपरेशन के दौरान कम हुआ प्रतीत होता है और पूरे मामले से पता चलता है कि याचिकाकर्ता सामान्य परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो सकता है, लेकिन वह किसी विशेष संचालन में उससे अपेक्षित अवसर पर पहुंचने में असमर्थ था। यह इस संदर्भ में है कि याचिकाकर्ता के

बारे में टिप्पणियां की गई हैं कि वह एक यात्रा करना पसंद करता है और आराम दायक नौकरियों की तलाश करता है।

18. वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए एसीआर में याचिकाकर्ता का श्रेणीकरण स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के रास्ते में आई है, जो सामान्य सेवा प्रोफ़ाइल से विचलन है, लेकिन उक्त श्रेणीकरण में हस्तक्षेप करना या उसे प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है, जब उसका औचित्य पूरे मामले में स्पष्ट रूप से बताया गया हो।

19. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने का आदेश देते हुए रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

न्या. संजय किशन कौल,

14 अगस्त, 2008 न्या. मूल चंद गर्ग,

डीएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*